ग्राम पंचायत निचला भलवाल, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **प्रस्तावना (क) :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारापंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत निचला भलवाल, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमती सुशीला कुमारी	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमती कुसम लता	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री दौलत राम	4/2013 से 7/2013
2	श्री मखन सिंह	7/2013 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत निचला भलवाल के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान का उपयोग न करना	5.95
2	10	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	0.62
3	11	पंचायत द्वारा क्रय किये गये 25 बैग सीमेंट के दुर्विनियोजन/गवन के बारे में	0.06

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत निचला भलवाल , विकास खण्ड परागपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19/8/2016 से 23/8/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	4/2013
2014-15	2/2015	7/2014
2015-16	4/2015	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत निचला भलवाल , विकास खण्ड परागपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि 7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 198 /2016 दिनांक 23-8-2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत निचला भलवाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व: स्त्रोत :-** ग्राम पंचायत निचला भलवाल के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	104157	36883	141040	21478	119562
2014-15	119562	55148	174710	11266	163444
2015-16	163444	40411	203855	13676	190179

(2) **<u>अनुदान</u> :-** ग्राम पंचायत निचला भलवाल के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	318208	888763	1195139	930755	276216
2014-15	276216	1014740	1290956	727097	563859
2015-16	563859	1063723	1627582	1032859	594723

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निचला भलवाल की रोकड़ वहियों तथा बैंक खातों में अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹4074 का अंतर था जिसका समाधान विवरण **परिशिष्ट (2)** पर सलंग्न है।

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹190179

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹594723

योग ₹784902

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के सी सी बी डाडासीबा	200229023233	748644

2	के सी सी बी डाडासीबा	50056221886	114
3	के सी सी बी डाडासीबा	50056210535	7058
4	के सी सी बी डाडासीबा	50060562263	1324
5	के सी सी बी डाडासीबा	50056221241	5525
6	के सी सी बी डाडासीबा	50056211754	497
7	के सी सी बी डाडासीबा	50056212055	217
8	के सी सी बी डाडासीबा	50056190979	**557**
9	के सी सी बी डाडासीबा	50056211415	**1763**
10	के सी सी बी डाडासीबा	50050831386	**5692**
11	के सी सी बी डाडासीबा	50060099336	**17377**
		योग	**788768**
		हस्तगत राशि	**208**
		योग	**788976**

अंतर :--788976-784902 =4074 रुपये

6 <u>निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना</u> :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 <u>पंचायत राजस्व की वसूली</u> :-

पंचायत सचिव, निचला भलवाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व (गृहकर) की राशि ₹100 वसूली हेतु शेष थी|

1 <u>गृहकर:-</u>

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	0	8425	8425	8425	0

2014-15	0	8200	8200	8200	0
2015-16	0	9950	9950	9850	100

8 **<u>अनुदान ₹5.95 लाख का उपयोग न करना :-</u>**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹**594723** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 **<u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अ भाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योज्न की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

10 **<u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 72 तक में पंचायत कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट 3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**61820** के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा

निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार निर्माण सामग्री का क्रय किया जाए।

11 **<u>पंचायत द्वारा क्रय किये गये सीमेंट 25 बैग लागत ₹5900 के गवन के बारे में</u>**

ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 20 मास 6/2013 के द्वारा के द्वारा 180 सीमेंट बैग का क्रय ₹**38880** में किया गया परन्तु सीमेंट को भंडार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया तथा रोकड़ वही में की गयी प्रविष्टियो के अनुसार निम्नानुसार निर्माण कार्यों के लिए 155 सीमेंट बैग जारी किये गये। शेष बचे 25 बैग न तो निर्माण कार्यों के लिए जारी किये गये और न ही इन्हें भंडार रजिस्टर में दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इसके उपरांत भी काफी मात्रा में सीमेंट का क्रय किया गया तथा उसे नियमानुसार भंडार रजिस्टर में दर्ज किया गया है। इस प्रकार इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 25 (180-155) सीमेंट बैग के दुर्विन्योज्न/ गवन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹236 प्रति बैग की दर से ₹5900 की वसूली दण्ड ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए तथा अनुपलना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

दिनांक	**निर्माण कार्य का नाम**	**जारी किये गये सीमेंट बैग**
21-6-2013	वाटर टैंक मदन सिंह	29
21-6-2013	वाटर टैंक दिलबाग सिंह	29
21-6-2013	वाटर टैंक सतपाल	29
21-6-2013	वाटर टैंक धनी राम	24
21-6-2013	वाटर टैंक शाम लाल	8
21-6-2013	वाटर टैंक बलबंत सिंह	29
28-3-2014	वाटर टैंक सुभाष चन्द	7
	योग	**155**

12 **<u>अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-</u>**

ग्राम पंचायत के भुगतान वोउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता

है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिन ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए।

13 **मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-**

ग्राम पंचायत निचला भलवाल की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test checl किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 **लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-**

आई डब्लू ऍम पी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थिओं के निर्माण कार्य यथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था। अंकेक्षण अवधि के दौरान आई डबलू ऍम पी के लाभार्थिओं से कितनी राशि प्राप्त की गयी है उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी और न ही उसकी जाँच की जा सकी। अत: इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 **निष्कर्ष :-** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 37/2016–खण्ड–1–6613–6616 दिनाँक :20.12.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत निचला भलवाल, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पैरा संख्या 10 के संदर्भ में परिशिष्ट (3)ग्राम पंचायत निचला भलवाल द्वारा भंडार पंजिका में न दर्ज की गयी मदों की सूचि

वाउचर संख्या	**मास**	**मद का नाम**	**मात्रा (CFT/CUM)**	**दर (रुपये)**	**राशि (रुपये)**
सामान्य रोकड़ वही					

3	4/2013	(i)दरवाजे (ii)पल्ले	2 no. 4no.	2500 1000	5000 4000{Paid actually Rs.7000}
15	7/2013	(i)sand (ii)Bajri (iii)Stone (iv)Shutter	400 740 480 181sft	27 28 5 5	10800 20720 2400 900
IWMP					
Nil	4/2013	(i)Sand (ii)Bajri (iii)Shuttetring	270 500 312	22 25 5	5940 12500 1560
				Total	**61820**